

राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांक: प. 6 (5) वित्त/साविलेनि/2018

जयपुर, दिनांक : 17.07.2020


परिपत्र

विषय:- ई ग्रास पर एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं आरआईएसएल फीस जमा करवाये जाने की प्रक्रिया के चरण ।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 6(5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 द्वारा राज्य सरकार के सिविल विभागों, निर्माण विभागों तथा वन विभाग में लोक उपापन प्रक्रिया में ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर ई-निविदाओं के लिए एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं आरआईएसएल फीस को ऑनलाईन ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा कराने के प्रावधान किये गये हैं। ई-ग्रास पोर्टल पर ऑनलाईन चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं आरआईएसएल फीस जमा करवाये जाने के संबंधित चरण निम्नानुसार है:-


1. बिडर का ई-ग्रास पर लॉगिन पहले से नहीं बना हो तो सर्वप्रथम बिडर को ई-ग्रास पोर्टल पर New User sign Up से लॉगिन फार्म भरना है।
2. Login ID Password प्राप्त करने के पश्चात ई-ग्रास पोर्टल पर sign in करें।
3. चालान जमा करवाने हेतु Service Challan का ऑप्शन चयन करें।
4. Department का चयन करें। उसके पश्चात services के ऑप्शन में e-proc या Non-e-proc ऑप्शन का चयन करें।
उल्लेखनीय हैं e-proc के प्रकरण में केवल ऑनलाइन भुगतान ही स्वीकार किया जायेगा। Non -e-proc में दोनों विकल्प Manual (Offline) एवं e-mode (Online) मौजूद हैं।
5. चालान फॉर्म में period के option में one time के ऑप्शन का चयन करें।
6. Payment mode में online और offline दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। ऑनलाइन मोड चयन करने पर संबंधित बैंक की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जायेगा।
ऑफलाइन भुगतान करने की स्थिति में जिस बैंक का विकल्प चुना है उसकी संबंधित बैंक में चालान जमा कराना होगा। Manual (Offline) में केश/ चेक/डी.डी. द्वारा भुगतान का ऑप्शन उपलब्ध है।

विस्तृत प्रक्रिया ई ग्रास पोर्टल (<https://egras.raj.nic.in/>) पर User Manual में उपलब्ध है। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए ई ग्रास हेल्प डेस्क नंबर 0141-5111007, 5111010 पर संपर्क किया जा सकता है।


(टी. रिकान्त)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/ जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/ सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त अंकेक्षण विभाग को उनके अधीनस्थ अंकेक्षण दलों द्वारा इन निर्देशों की पालनार्थ ।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला क्लेक्टर/ संभागीय आयुक्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थाओं को इस परिपत्र की प्रति प्रेषित करा कर इसकी पालना सुनिश्चित करावें ।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
13. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
14. समस्त कोषाधिकारी ।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें ।
16. रक्षित पत्रावली ।


9/7/2020
(दिवल कुडडर गुडुतल)
संयुक्त शासन सचिव